

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),  
पटना - 800001

विज्ञापन संख्या 02/2013, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन अस्थायी असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक के कुल 291 बैकलॉग रिक्त पदों, जिनमें अनुसूचित जाति को 97 (संतानवे), अनुसूचित जनजाति को 84 (चौरासी) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 110 (एक सौ दस) पद अनुमान्य था, पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के विज्ञापन सं-03/2009 द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-11(2), दिनांक 08.01.2013 एवं पत्रांक-90(2), दिनांक 30.01.2013 द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार कम-से-कम दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों (राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला मुख्यालय में अवस्थित अस्पतालों यथा सदर अस्पताल एवं शहरी अस्पतालों (प्रभावती अस्पताल, गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना एवं गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी) को छोड़कर) में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है एवं तदालोक में ही आयोग के विज्ञापन सं-03/2009 को रद्द करते हुए पुनः उपरोक्त पदों, जिनमें नियमानुसार विकलांगों को भी 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा, पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

2. **वेतनमान** - 9300-34800/- + ग्रेड पे 5400/-।

3. **शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण** :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता तथा बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916 के अन्तर्गत स्थाई रूप से निबन्धित।

(ख) प्रशिक्षण :- भारतीय चिकित्सा परिषद (M.C.I.) एवं सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 (बारह) माह का अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्नशीप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो।

(ग) अनुभव :- आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम-से-कम दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों (राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला मुख्यालय में अवस्थित अस्पतालों यथा सदर अस्पताल एवं शहरी अस्पतालों (प्रभावती अस्पताल, गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना एवं गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी) को छोड़कर) में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा।

4. **उम्र सीमा** - दिनांक 31.12.2012 को अधिकतम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 342(2), दिनांक 21.03.2011 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए और राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यहित में उक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्गों के लिए समान रूप से सिर्फ एक बार के लिए तीन वर्षों की छूट देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस छूट के बाद दिनांक 31.12.2012 को अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी:-

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 45 वर्ष।

(ख) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 43 वर्ष

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक - 01.10.2011 से 31.12.2012 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अर्थात् उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **अनुशासना का आधार** - लिखित परीक्षा एवम् साक्षात्कार के आधार पर। मेधा सूची लिखित परीक्षा एवम् साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

परीक्षा एवं साक्षात्कार का स्वरूप निम्नवत् है:-

लिखित परीक्षा में 100-100 अंकों के चार पत्र होंगे। हरेक पत्र दो घंटे का होगा।

पत्र	अंक
प्रथम पत्र	100
द्वितीय पत्र	100
तृतीय पत्र	100
चतुर्थ पत्र	100
मौखिक परीक्षा	40 अंक

केवल वे ही उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये जायेंगे जो लिखित परीक्षा में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक - 6706, दिनांक - 01.10.2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिये लिखित परीक्षा (प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र एवं चतुर्थ पत्र) में निर्धारित न्यूनतम अहताक, यथा; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग उम्मीदवार - 32% तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 34% अंक प्राप्त करेंगे।

**आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश/आवेदन प्रपत्र**

6. **प्रविष्टि:**

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूँकि आवेदन कम्प्यूटरिकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशाधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे:-

1. आवेदन की कड़िका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; सिन्ध्या, इस प्रकार भरा जाय -

रि	न	र	धा		
----	---	---	----	--	--

2. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
3. आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
4. आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04 भरें।  
उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) क्रमांक 8(i) "शैक्षिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक' एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को 'पूर्णांक' नहीं जोड़ें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

#### 7. फोटोग्राफ:

आवेदन-पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रेमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

#### 8. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, एम.बी.बी.एस. डिग्री प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र, इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र, स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ) एवं विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रेमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान द्वारा निर्गत उपाधि/इन्टर्नशीप प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान के सक्षम प्राधिकार का यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र में सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान को एम.सी.आई. (M.C.I.) द्वारा मान्यता (Recognition) प्रदान किया गया है। उक्त कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है।

(iii) 16 × 10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25-25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

#### 9. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा।**

#### 10. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/- (पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 125/- (एक सौ पचीस) रुपये तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 300/- (तीन सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 350/- (तीन सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।**

#### 11. अन्य:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

#### 12. अंतिम तिथि:

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि सोमवार, दिनांक 15.07.2013 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना